फाइल नं0-71-1002(002)/26/2021

135/2021/।/112714/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनाँक 10 नवम्बर, 2021

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, आजमगढ़, मेरठ, कानपुर, जालौन तथा बाँदा के विभिन्न विभागों में स्थापित चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–132/2021/।/111834/2021-71-1002(002)/26/2021, दिनाँक 02.11.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, आजमगढ़, मेरठ, कानपुर, जालौन तथा बाँदा में स्थापित चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु रू0 7,63,77,269/- (रू0 सात करोड़ तिरसठ लाख सत्तहत्तर हजार दो सौ बासठ मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त शासनादेश दिनाँक 02.11.2021 के प्रस्तर-2 में ''राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, आजमगढ़, मेरठ, कानपुर, जालौन तथा बाँदा में स्थापित चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु रू0 7,63,77,269/- (रू0 सात करोड़ तिरसठ लाख सत्तहत्तर हजार दो सौ बासठ मात्र)'' का त्रुटिवश उल्लेख हो गया है। अतः उक्त के स्थान पर ''राजकीय मेडिकल कालेज, झाँसी, आजमगढ़, मेरठ, कानपुर, जालौन तथा बाँदा में स्थापित चिकित्सकीय एवं गैर चिकित्सकीय उपकरणों की मरम्मत/ ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु रू0 7,63,77,269/- (रू0 सात करोड़ तिरसठ लाख सत्तहत्तर हजार दो सौ उनहत्तर मात्र)'' पढ़ा जाये।

5- शासनादेश संख्या–132/2021/।/111834/2021-71-1002(002)/26/2021, दिनाँक 02.11.2021 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-उपरोक्त तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद
2- संयुक्त् सचिव (श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी) चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी , आजमगढ़ , मेरठ , कानपुर , जालौन तथा बॉदा।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, झॉसी , आजमगढ़ , मेरठ , कानपुर , जालौन तथा बॉदा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, झॉसी , आजमगढ़ , मेरठ , कानपुर , जालौन तथा बॉदा।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।